फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटपूतली–बहरोड़

49/2024
26/7/24

ख्याली बनाम सहायक कलक्टर कोटपूतली वगै0

केस संख्या ....49...... / 2024 प्रा0पत्र मुन्तकिल

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
26.07.2024	दरख्वास्तगुजार ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली के समक्ष विचाराधीन प्रकरण बउनवान रामस्वरूप वगै0 बनाम ख्याली वगै0 मुकदमा नम्बर 42/2024 जिसके संलग्न टी.आई. 212 आरटीएक्ट को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण/प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली से बिन्दुवार टिप्पणी हेतु तहरीर जारी हो। वकील प्रार्थी, अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजि0 नोटिस तलवान पेश करे, जारी हो। पत्रावली दिनांक 16.08.2024 को पेश हो। जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़ जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़	
16/8/24	आज यह पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित आये। वकील प्रार्थी ने तलबी रजिस्टर्ड की रसीद पेश की। तामिल अप्रार्थीगण [illegible] प्राप्त हुई। वकील प्रार्थी ने शपथपत्र के साथ तामिल कराने प्रार्थना पत्र पेश किया। [illegible] पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण हेतु रजि AD दिनांक 11/9/24 को पेश हो। वकील प्रार्थी आवश्यक रूप से रजिस्टर्ड नोटिस तलबाना पेश करे। जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़	
11/9/24	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी स्वयं व उनके अधिवक्ता कोई उपस्थित नहीं है। प्रार्थी के पैरवी तथा तलबी सही पते पर कराने हेतु [illegible] दिया जावे। पत्रावली दिनांक 25/9/24 को पेश हो। जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़	

फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटपूतली–बहरोड़

ख्याली बनाम सहायक कलक्टर कोटपूतली वगै0

केस संख्या ....59..... / 2024 प्रा0पत्र मुन्तकिल

क्र0 स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशे[ष] विवर[ण]
	25/9/24	पत्रावली आज पेश हुई। अप्रार्थी सं. 2, 4, 5 की ओर से श्री मधुप शर्मा Adv ने वकालतनामा पेश किया। वकील अप्रार्थी ने जवाब [illegible] पेश किया वास्ते जवाब अप्रार्थी सं. 3 व बहस हेतु दिनांक 1.10.24 को पेश हो। ACM कोटपूतली से टिप्पणी प्राप्त हो गई है। जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़	
	1/10/24	पत्रावली आज पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं० 3 की ओर से श्री रुचि शर्मा Adv ने वकालतनामा पेश किया वास्ते बहस हेतु पत्रावली दिनांक 8/10/24 को पेश हो। जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़	
	8/10/24	पत्रावली आज पेश हुई वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वास्ते आदेशार्थ पत्रावली दिनांक 9/10/24 को पेश हो। जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़	
	9/10/24	पत्रावली आज पेश हुई प्रकरण में उभय पक्ष की बहस तथा पत्रावली के अवलोकन करने पर प्रार्थी द्वारा पेश मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आदेश [illegible] किताब जारी [illegible] [illegible] के निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़	

(राजस्थान सरकार)

न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

प्रकरण संख्या : 49/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
तारीख रजू : 26.07.2024

निर्णय दिनांक : 09.10.2024

1. ख्याली पुत्र भूरा जाति अहीर निवासी ढाणी चौलाई, तन गोरधनपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड राजस्थान।

– प्रार्थी

बनाम

1. सहायक कलक्टर कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज0।
2. रामस्वरूप पुत्र छीतरमल
3. परबाती देवी उर्फ प्रभाती पत्नी छीतर
4. कैलाश पुत्र भूरा
5. श्रीराम पुत्र भूरा

समस्त जातियान अहीर, निवासी ढाणी चौलाई, तन गोरधनपुरा, कोटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान।

– अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर कोटपूतली के समक्ष विचाराधीन प्रकरण बउनवानी रामस्वरूप वगै0 बनाम ख्याली वगै0 मुकदमा नम्बर 42/2024 को अन्यत्र मुन्तकिल करने बाबत।

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री संदीप बंसल एड. – प्रार्थी की ओर से।
2. श्री सुधीर शर्मा और श्री अनुप शर्मा एड. – अप्रार्थी संख्या 02, 03, 04, 05 की ओर से।

निर्णय

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सहायक कलक्टर कोटपूतली के समक्ष उनवानी प्रकरण रामस्वरूप वगै0 बनाम ख्याली वगै0 के संलग्न स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 42/2024 विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर कोटपूतली से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 02, 03, 04, 05 की ओर से उनके अधिवक्ता ने सीधी बहस करने का निवेदन किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त उनवानी प्रकरण में प्रतिवादीगण गांव में ऐलानिया कह रहे है कि हमारी पीठासीन अधीकारी से बात हो गयी है, उक्त प्रकरण का हमारे पक्ष में फैसला करवाऐगें। इस ऐलानिया घोषणा होने के कारण एवं पीठासीन अधिकारी को अपने प्रभाव में लेने के कारण उक्त प्रकरण में न्याय की कोई उम्मीद नही होने की वजह से जिले के अन्यत्र न्यायालय में स्थानांतरित करने का निवेदन किया।

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

5. अप्रार्थी संख्या 02, 03, 04, 05 ने अपनी बहस में प्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये जाहिर किया की प्रार्थी द्वारा मंगढनत एवं झूठे तथ्य पेश किये है। प्रकरण में अनावश्यक देरी करने की मंशा से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसे खारिज किया जावें।

6. सहायक कलक्टर कोटपूतली ने अपने पत्रांक कोर्ट/2024/231 दिनांक 14.08.2024 के द्वारा जाहिर किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य मनमाने व झूठे है तथा यदि प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है तो न्यायालय हाजा को कोई आपत्ति नही है।

7. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया तथा सहायक कलक्टर कोटपूतली की बिन्दूवार टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

8. वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में पेश दस्तावेजो का ध्यानपुर्वक अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नही है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरापो की पुष्टि नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति सहायक कलक्टर कोटपूतली को भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 09.10.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(कल्पना अग्रवाल)
IAS
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

न्यायालय जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड़ (राज.) सत्यमेव जयते

 ख्याली बनाम सहायक कलक्टर कोटपूतली